## अज अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत
### इजलास डॉ रविन्द्र गोस्वामी, आई.ए.एस.

**प्रार्थीगण**

1. श्री विकास अग्रवाल पुत्र विजय कुमार जाति अग्रवाल निवासी सदर बाजार, आबूरोड
2. श्री लोकेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र जाति अग्रवाल निवासी पंचाल गली, पारसीचाल, आबूरोड

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. चेतन कुमार पुत्र पोपट लाल जाति डबगर निवासी पंचाल गली, पारसीचाल, आबूरोड
2. पोपट लाल पुत्र आत्मा राम जाति डबगर निवासी पंचाल गली, पारसीचाल, आबूरोड
3. प्रकाश चन्द्र पुत्र सीता राम जाति सैन जाति डबगर निवासी पंचाल गली, पारसीचाल, आबूरोड
4. तेज सिंह पुत्र सुख लाल जाति लोधा निवासी केसरगंज हाल सदर बाजार आबूरोड
5. नगर पालिका आबूरोड जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, आबूरोड

विविध फौजदारी अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

फौजदारी प्रकरण संख्या 05 /वर्ष 2015

दिनांकः–

## आदेश

यहकि प्रार्थीगण द्वारा यह परिवाद पेश कर कथन किया कि पारसीचाल आबूरोड पंचाल गली जिसकी चौडाई करीब 10 फिट है जिसमे 3 फिट का चबुतरा गली के दक्षिण मे स्थित भवन मालिक ने बना दिया है। जिससे गली वर्तमान मे मात्र 7–8 फिट चौडी रह गई है। आम सार्वजनिक गली मे अप्रार्थीगणो को अस्थाई केबिन रखने अनुमति अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा करीब 4 बाय 4 के केबीन खडे करने हेतु दिये गये है। अप्रार्थीगण ने आम सार्वजनिक रास्ते मे पक्का ओटला सीमेन्टेड बना कर उस पर दुकाननुमा केबिन लगा दिया है केबिन के आगे 2 फिट चोडा ओटला बना दिया है। जिससे रास्ता सकडा हो गया है जिससे आमजन को अत्यधिक परेशानी हो रही है।

अतः प्रकरण को अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी संख्या द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को अस्थाई रूप से केबिन लगाने की अनुमति नियमानुसार अस्थाई किराया शुल्क लेकर दी गई है। तथा नगरपालिका के अस्थाई किराया शुल्क संधारण रजिस्टर के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक किराया शुल्क जमा कराया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से लिखित कथन एवं आपत्तियां पेश की जिसे शामिल पत्रावलियां किया गया।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार अप्रार्थीगणो द्वारा किये गये लोक उपताप के कारण आमजनो को परेशानी हो रही है। उक्त अप्रार्थीगणो के केबिन को तुरन्त हटाने के आदेश दिये जाते है। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित कर अनुपालना से इस न्यायालय को अवगत करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी) आई.ए.एस.,
उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आबूपर्वत (सिरोही)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत (जिला–सिरोही)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2019.11.26 16:35:55 IST
Reason: SelfAttested